

# नगर निगम, कोटा उत्तर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अनुरूप)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/KOTA NORTH/FIRENOC/2022-23/13096

जारी दिनांक:

06-DEC-2022

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SAHAYA ROSE PRABHA

आवेदक का पता: DADWARA BHIMGANJMANDI KOTA JN.

विषय:- अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले द्वारा

आपके भवन NIRMALA SCHOOL, 1, DADWARA, BHIMGANJMANDI KOTA JN., KOTA, KOTA, RAJASTHAN को निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अधिक सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था को अनुसार निम्न शर्तों पर पांच दिनों में आवश्यक बदलाव करते हुए यह स्वार्थ (Permanently) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तों:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऐक चर्च कि अधिक होते ही जान्य होगा। ऐक चर्च बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का बबोबोकरण किया जाना आवश्यक होगा, अवधारणा अनापत्ति स्वतः निरस्ता भानी जावेगी।
2. भवन के सभी दरवाजे व दिवारों पर जारी करने के लिए अधिक सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था को अनुसार निम्न शर्तों पर पांच दिनों में आवश्यक बदलाव करते हुए यह स्वार्थ (Permanently) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
3. अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेंगे व फायर रिस्टर्ट कार्यक्रम जारी रखा जाएगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा विरेंड्रों को पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में खोई निगम/उपनियम जारी किया जाता है तो उपर्युक्त शर्तों में जारी होगा।
6. भवन का सुरक्षा अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेंगे व फायर रिस्टर्ट कार्यक्रम जारी रखा जाएगा।
7. भवन के दौरान दरवाजे भरे रखने होंगे व पर्यावरण के लिए अधिकारी द्वारा फायर रिस्टर्ट 24 घण्टे कार्यशील हिति में रखने के लिए होंगे।
8. फायर रिस्टर्ट को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर इशिकाइट कर्नलारी रखने होंगे तथा ए प्रति दी नक्काशी जाकर रिस्टर्ट बजे रखने वाले अधिकारी द्वारा अनिवार्य होगा।
9. फायर बाह्य आवासी से आ जा सके एकले लिए पर्यावरण क्षुला रखाक अवधेध रहित रखना होगा।
10. अधव व के अंदर किसी भी प्रकार का विलेटक पदार्थ व अति रुक्लनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. दोप लेडर व दो रस्ता भवन के सभी दरवाजे जैसे व्यवहार कि उचाई जितना छठ सभी अवधि में रखना होगा।
12. छठ अधिक सुरक्षा प्रमाणपत्र अधिक सुरक्षा खी दूर्जि से ही जान्य होगा।
13. शूर्जि व आवाज संबोधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बहीर साक्ष जान्य नहीं होगा एवं इस बावत आवेदक रखने वाली होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र न्यूफॉर्म रेस्ट्रोरेट को लिए जान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है यह पर न्यूफॉर्म रेस्ट्रोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिवर्धित रहेगा।

अधिकारी  
नगर निगम, कोटा उत्तर

Principal

NIRMALA SCHOOL  
KOTA JN. (Raj.) 324002



Signature valid

Digitally signed by Gajendra Singh  
Designation: DC EO/Commissioner  
Date: 2022-12-06 15:15:04 IST  
Reason: Approved